राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1083/2017

रामधन

–अपीलार्थी

बनाम

1. महानिदेश पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, दौसा।
4. ब्रिज किशोर चेस्ट न. 783, एसपी कार्यालय, दौसा।
5. मोहन लाल चेस्ट न. 799, एसपी कार्यालय, दौसा।
6. गोविंद सिंह चेस्ट न. 1058, एसपी कार्यालय, दौसा।
7. प्रदीप राव चेस्ट न. 299, एसपी कार्यालय, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2017
आदेश की दिनांक : 04.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश संख्या 9540–9560 दिनांक 28.11.1996 (अनुलग्नक–1) द्वारा बीकानेर जिले में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 13 पर अंकित है। अपीलार्थी का सामान्य श्रेणी की सीट के विरुद्ध चयन किया गया था, जबकि अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। अपीलार्थी को उसके स्वयं के अनुरोध पर जिला दौसा में स्थानांतरित कर दिया गया था अपीलार्थी ने दिनांक 02.03.2009 को कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आदेश संख्या 3907– 45 दिनांक 02. 05.2016 द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए दिनांक 01.04.2014 के संदर्भ में (अनुलग्नक–2) को जिला दौसा के कांस्टेबलों की वरिष्ठता सूची जारी की जिसमें अपीलकर्ता की वरिष्ठता क्रम संख्या 198 पर निर्धारित की गई थी जिसमें नियुक्ति की दिनांक 10.12.1996 दिखाई गई है। वरिष्ठता सूची में 07.10. 1997 को नियुक्त कांस्टेबलों को अपीलार्थी से ऊपर रखा गया था, अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 28.11.1996 को हुई थी। अपीलार्थी ने वरिष्ठता सूची के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिसे प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आदेश

संख्या 4349–51 दिनांक 09.05.2016 जारी कर इस आधार पर अभ्यावेदन को खारिज कर दिया कि ये सभी कांस्टेबल जिन्हें 197 तक उच्च वरिष्ठता दी गई है, उन्हें वर्ष 1996 में दौसा जिले में नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी की नियुक्ति बीकानेर जिले में हुई थी तथा अपीलार्थी स्वयं के अनुरोध पर जिला दौसा में स्थानान्तरण पर आया था। (अनुलग्नक–3) वर्ष 2015–16 के लिए फिर से आदेश संख्या 2695– 2725 दिनांक 18.03.2016 द्वारा दिनांक 01.04.2015 के संदर्भ में वरिष्ठता दर्शाते हुए एक वरिष्ठता सूची जारी की गई थी जिसमें अपीलकर्ता को क्रम संख्या 218 पर ऊपर दिखाया गया था जबकि जो कांस्टेबल दिनांक 07.10.1997 को नियुक्त हुए थे, उनको नीचे क्रम संख्या 245 से 250 पर रखा गया। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी संख्या 3 ने हैड कांस्टेबलों की रिक्तियों के लिए पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचना संख्या 8600–32 दिनांक 26.09.2016 जारी की, जिसमें कुल रिक्तियों की संख्या एवं श्रेणीवार रिक्तियां घोषित नहीं की गई। (अनुलग्नक–5) प्रत्यर्थी विभाग ने पुनः से एक अनंतिम वरिष्ठता सूची आदेश क्रमांक 8422–65 दिनांक 23.09.2016 द्वारा दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में जारी की, जिसमें अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक संख्या 182 पर रखी गई थी, जबकि दिनांक 07.10.1997 को नियुक्त कांस्टेबलों को पुनः अपीलार्थी के उपर क्र.सं. 178 से 181 पर रखा गया। (अनुलग्नक'6) अपीलार्थी ने 28.09.2016 (अनुलग्नक–7) को वरिष्ठता सूची के के संबंध में अपना अभ्यावेदन पुनः प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का अभ्यावेदन लंबित रखते हुए एक आदेश संख्या 903–28 दिनांक 07.02.2017 (अनुलग्नक–8) जारी किया जिसमें पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाले रिक्त पदों की संख्या घोषित की गई जिसमें एसटी वर्ग के लिए कोई पद निर्धारित नहीं किया गया और 32 पद सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किए गए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.02.2017 (अनुलग्नक 9) द्वारा परीक्षा में बैठने से अपात्र कांस्टेबल की सूची जारी की जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के है एवं इस हेतु कोई रिक्ती उपलब्ध नहीं है। इस सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं शामिल किया क्योंकि अपीलार्थी एसटी वर्ग का था, लेकिन योग्यता के आधार पर सामान्य वर्ग के विरूद्ध उसका चयन किया गया था। अपीलार्थी को न केवल परीक्षा लिए पात्र घोषित किया गया, बल्कि वह दिनांक 09.04.2017 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे आदेश दिनांक 21.06.2017 द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया। इस सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 15 पर था, लेकिन उनकी जाति को एसटी के रूप में दिखाया गया है। (अनुलग्नक–10) इसके बाद अपीलार्थी को आउटडोर परीक्षणों में उपस्थित होने की अनुमति दी गई और आउटडोर में पास करने पर परीक्षा के भाग–2 में

उपस्थित होने की अनुमति दी गई, जहां उसके सेवा रिकॉर्ड की जांच की गई और बोर्ड द्वारा उसका साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 से अपीलार्थी के अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के बारे में पूछताछ की। अपीलार्थी ने महानिरीक्षक पुलिस को बताया कि उसकी नियुक्ति सामान्य वर्ग के विरूद्ध हुई है। प्रारंभिक नियुक्ति आदेश में अपीलार्थी के सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चयनित होने के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 2 सहमत नहीं हुआ और उसने अपीलार्थी को सूचित किया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद उसका चयन नहीं किया जा सकता क्योंकि एसटी श्रेणी के लिए कोई पद रिक्त नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 30.06.2017 के तहत 39 हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए कांस्टेबलों की चयन सूची जारी की है, जिसमें अपीलकर्ता का नाम नहीं है, जबकि दिनांक 14.11.1999 को नियुक्त प्रदीप राव तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति के लिए चयनित किया गया। (अनुलग्नक–11) वर्ष 1997 में नियुक्त किए गए कार्मिकों की तुलना में अपीलार्थी की वरिष्ठता अधिक है। अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए सामान्य वर्ग के पदों पर अपने चयन का दावा कर रहा है, उससे वरिष्ठ वरिष्ठता क्रम संख्या 186 पर कनिष्ठ कांस्टेबल गोविंद सिंह और सामान्य सीटों पर क्रम संख्या 39 पर चयनित अंतिम कांस्टेबल प्रदीप राय को निजी प्रत्यर्थी के रूप में रखा गया है। अपीलार्थी को उपलब्ध सूचना अनुसार एसटी के 4 पद और सामान्य श्रेणी के 45 हैड कांस्टेबल पद की रिक्तियां थीं जो वर्ष 2016–17 में हैड कांस्टेबल के पद से एएसआई के पद पर पदोन्नति पर आदेश दिनांक 26.09.2016 (अनुलग्नक–12) द्वारा पहले से ही निर्धारित थी। इसलि स्पष्ट है कि जब वर्ष 2016–17 के लिए हैड कांस्टेबल की रिक्तियों का निर्धारण किया गया था तो यह प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के ज्ञान में था कि एसटी और सामान्य श्रेणी में हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्तियां थीं। वर्ष 2016–17 में जिले में रिक्तियां होनी थीं इसलिए इन रिक्तियों को हैड कांस्टेबल की पदोन्नति द्वारा एएसआई की रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2016–17 में जारी अधिसूचना दिनांक 07.02.2017 के अनुसार हैड कांस्टेबल की रिक्तियों में शामिल किया जाना चाहिए था। वर्ष 2016–17 की हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्तियां एसटी और सामान्य वर्ग की हैं, जो निश्चित रूप से पदोन्नति होने की संभावना थी, उन्हें अधिसूचना दिनांक 07.02.2017 में इस कारण से शामिल नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ऐसी रिक्तियों को आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए थे।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर घोषित किया जावे कि वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित रिक्तियां नियमानुसार नहीं है। वर्ष 2016–17 के एएसआई के पद पर पदोन्नति पर होने वाली संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत हैड कांस्टेबल के 61 पदों कि रिक्तियां वर्ष 2016–17 हेतु घोषित की जावे। वर्ष 2016–17 के हैड कांस्टेबल के 39 पदों रिक्तियों का निर्धारण करने वाली अधिसूचना दिनांक 07.02.2017 नियमों का उल्लंघन में होने के कारण इसे निरस्त किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को वर्ष 2016–17 के हैड कांस्टेबल के पदों की रिक्तियों को श्रेणीवार 61 पदों की रिक्तियों को शामिल करके पुनः निर्धारित कर तथा वर्ष 2016–17 के हैड कांस्टेबल 100 पदों की चयन सूची तैयार करने के निर्देश दिए जावे। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को निर्देश दिए जावे कि वे पहले बढ़ी हुई रिक्तियों को उन ओर सफल कांस्टेबलों में से भरे जिन्होंने अपनी वरिष्ठता के अनुसार परीक्षा दी है, उसके बाद शेष रिक्तियों के लिए पुनः अर्हक परीक्षा आयोजित की जाए तथा उनकी वरिष्ठता के अनुसार सूची तैयार की जाए। दिनांक 07.10.1997 को नियुक्त कार्मिकों से नीचे निर्धारित अपीलार्थी की वरिष्ठता को मनमाना तथा अवैध घोषित किया जावे। सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध कांस्टेबल के रूप में अपीलार्थी के चयन तथा नियुक्ति की घोषणा की जावे। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि वे अपीलार्थी को पदोन्नति के प्रयोजनार्थ सामान्य श्रेणी का माना जावे। साथ ही अपीलार्थी सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश निर्देश दिए जावे कि वह जिला दौसा में वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के लिए आयोजित पदोन्नति के अपीलार्थी के परिणाम घोषित करे तथा अपीलर्थी द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में उसकी परिवर्तित वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति से चयन के लिए विचार किया जाए एवं अपीलार्थी को पी.सी.सी. के लिए भेजा जावे तथा समस्त परिणामी लाभ दिलाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को जिला पुलिस बीकानेर के आदेश दिनांक 28.11.1996 द्वारा कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गयी। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 31 पर है। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 02.03.2009 द्वारा उसका स्थानान्तरण जिला पुलिस बीकानेर से जिला पुलिस दौसा किया गया। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 36 के क्रम में विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.01.2012 में यह स्पष्ट किया गया है कि " एक ही जिला/यूनिट में एह ही वर्ष में चयनित व्यक्तियों की वरिष्ठता चयन सूची में अंकित मेरिट क्रम में रखी जायेगी तथा अन्य जिला/यूनिट से स्थानान्तरण पर आये कानि. पद के कर्मियों की पारिस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति तिथी के आधार पर किया

जायेगा। नियुक्ति तिथी एक होने की अवस्था में जन्म तिथी/आयु के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी, जन्म तिथी एवं नियुक्ति तिथी एक ही होने की अवस्था में उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जावेगा।'' (अनुलग्नक–आर/1) इस प्रकार उक्त परिपत्र के अनुसार प्रतयर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की कांस्टेबल के पद पर पारिस्परिक वरिष्ठता जारी की गई, जो कि नियमानुसार सही है। वर्ष 2016–17 में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित की जाने वाली विज्ञात्मक परीक्षा राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के अनुसार 1 अप्रैल को आधार मानकर हैड कांस्टेबल के 39 रिक्तियों का निर्धारण किया जिसमें सामान्य हेतु 32 एवं एससी हेतु 7 रिक्तियां निर्धारित की गई। इन पदों हेतु योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें अन्य वर्गों की निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले कांस्टेबलों को भी जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन किया, उनकों सामान्य वर्ग के अन्तर्गत शामिल किया गया क्योंकि उनके वर्ग विशेष हेतु रिक्यिां नहीं थीं। इस योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थी को सामान्य वर्ग में शामिल किया गया। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 में स्पष्ट प्रावधान है कि योग्यात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण उन्हीं कांस्टेबलों की मेरिट लिस्ट बनाई जावें ''जिन्होंने योग्यात्मक परीक्षा के भाग–प्रथम एवं भाग द्वितीय में समग्र रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हों।'' राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमों के नियम 27 के अनुरूप अपीलार्थी द्वारा उक्त योग्यात्मक परीक्षा में समग्र रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करने के कारण हैड कानि. की पी.सी.सी. कोर्स हेतु जारी चयन सूची में सम्मिलत नहीं हो पाया है। अतः नियमों के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठता के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28.09.2016 पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्यवाही की जाकर इस क्रम में पत्र क्रमांक 8899–8904 दिनांक 06.10.2016 के द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया। (अनुलग्नक–आर/2) वर्ष 2016–17 के हैड कानि. के 39 रिक्त पदों (सामान्य वर्ग के 39 एवं एससी के 7) को भरे जाने हेतु कानि. से हैड कानि. पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले कांस्टेबल गणों को सामान्य वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था, क्योंकि उनके वर्ग में रिक्तियां नहीं थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1524–1566 दिनांक 03.05.2017 के द्वारा जारी पात्रता सूची में अपीलार्थी को भी सामान्य वर्ग में ही दर्शाया गया है। (अनुलग्नक–आर/3) अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का वरिष्ठता के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के हैड कांस्टेबल की पदोन्नति के पद रिक्त नहीं होने के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सभी श्रेणियों के पात्र कांस्टेबलों को योग्यात्मक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है। अपीलार्थी को भी इस योग्यात्मक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है। जिसे स्वयं अपीलार्थी ने स्वीकार किया है। नियमानुसार उन्हीं कार्मिकों को पीसीसी हेतु चयनित किया जाता है जिन्होंने योग्यात्मक परीक्षा के भाग प्रथम और भाग द्वितीय समग्र रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त परीक्षा में भाग प्रथम और भाग द्वितीय में समग्र रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किये जाने के कारण उसको पीसीसी हेतु चयनित नहीं किया गया। अतः हम पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः उक्त अपील विवेचन के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य